

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।  
अपील संख्या:-215/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00007)

1. बजरंगलाल,
2. रामजीलाल,
3. ललितप्रसाद,
4. मनोहर पुत्रान चिरन्जीलाल, जाति बाहाम्ण निवासी चावण्डियाँ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र जौहरीलाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी पडासोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 30.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 26.08.2010 (प्रकरण संख्या 119/2004) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रवली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उन्होंने कथन किया है कि ग्यारसीलाल रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील अपीलान्ट के पिता ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के न्यायालय में प्रस्तुत की थी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने वर्ष 2003 में अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दी थी तथा सूज्या का निधन हो गया था किन्तु न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी देने पर भी मृतक विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय देकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, मृतक सूज्या के हम उत्तराधिकारी है इसलिये हस्तगत अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने आगे कथन किया है कि ग्यारसीलाल की ओर से दोनों पक्षों के मध्य वाद विचाराधीन होने से वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखने की प्रार्थना की थी तथा न्यायालय ने इस पर सहमति देकर कार्यवाही को दावे के निर्णय तक स्थगित रखने की मौखिक आज्ञा दी जिससे अपीलान्ट आश्वस्त हो गया किन्तु तहसीलदार ने फिर भी बिना अधिकार क्षेत्र के उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को बिना सूचना दिये पारित कर दिया है, जो पूर्णतः अवैध तथा शून्य होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ग्यारसीलाल स्वयं के नाम दत्तक पुत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में ग्यारसीलाल प्रार्थी है, न कि अप्रार्थी। अतः गोदपुत्र साबित करने का भार भी ग्यारसीलाल रेस्पोडेन्ट पर ही था, साक्ष्य

P.T.O.

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

कभी नोगेटीव नही होती बल्कि यह ग्यारसीलाल को प्रमाणित करना था कि वह सूज्या का गोदपुत्र है, लेकिन उक्त कानूनी प्रावधान के विपरित निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भरी कानूनी भूल की है। उन्होंने कथन किया है कि यदि गोद का मसला विवादित हो तो इस पर निर्णय देने का अधिकार तहसीलदार को नही था बल्कि सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) ही गोद के होने या न होने के मुद्दे पर निर्णय दे सकती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही न करने का मौखिक आदेश सुनाया था किन्तु रेस्पोजेन्ट से मिलकर बिना सूचना अपीलान्ट्स उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 24.08.2011 को पटवारी हल्का के द्वारा देने पर उन्होंने दिनांक 25.08.2011 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 06.09.2011 को मिलने पर जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार हो, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त हो।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर है, दिनांक 26.08.2010 के निर्णय के खिलाफ दिनांक 11.10.2011 को अपील प्रस्तुत की है जिसमें करीब 14 माह का विलम्ब है, अधिक से अधिक अपील दिनांक 24.09.2010 तक ही प्रस्तुत की जा सकती थी किन्तु यह अपील दिनांक 11.10.2011 को प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर है। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थी मौखिक आदेश कुछ अलग सुनाया और फैसला मिलीभगत कर अलग लिख दिया, यह आधार प्रार्थना पत्र में लिखा है यह किसी भी प्रकार सम्मत नही है बल्कि लॉ फुल ऑथोरिटी का कन्टेम्प्ट है जिसकी अनुमति भी जो कथन प्लीडिंग में नही लिखा जा सकता है इस आधार पर देरी के क्षमा नही किया जा सकता, अपीलार्थी तहसीलदार के यहाँ स्वयं उपस्थित होता रहा है और उसकी उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत होने मे देरी को क्षमा करने का कोई सन्तोषजनक कारण नही है, इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि सूजादेवी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के यहाँ अपील की थी, उपखण्ड अधिकारी के यहाँ निर्णय पारित हुआ तब तक सूजादेवी जिन्दा थी, उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया और तहसीलदार के यहाँ प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करने के बाद उसने प्रकरण को कन्टैस्ट किया और कानूनन भी वादीया अपीलान्ट की मृत्यु होती है तो उसके

P.T.O.

(3)

पारिसान की जिम्मदारी होती है कि वह न्यायालय में कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो प्रकरण स्वतः ही अबेट हो जाता है इसलिये अपीलान्ट का कथन गैरकानूनी कथन है जिसका कोई फायदा अपीलार्थी नहीं ले सकता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर मानते हुये खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नज़ीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट कथन रहा है कि सूजा का निधन दिनांक 05.08.2010 को ही हो गया था जबकि अपीलाधीन निर्णय मृतका के विरुद्ध दिनांक 26.08.2010 को पारित किया गया है तथा रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता ने भी सूजा की मृत्यु होने की बात अपने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2010 मृतक सूजा की मृत्यु के पश्चात् पारित किया गया है जो मृत व्यक्ति के विरुद्ध होने के कारण उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2010 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी०रविकान्त)

संभागीय आयुक्त  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर।